भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3981

(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन

3981. श्री रिचर्ड वनलालहमंगइहा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिजोरम में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत जुलाई, 2025 से लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का वितरण नहीं किया गया है;
(ख) यदि हां, तो राज्य में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या कोई निधि जारी किए जाने के लिए लंबित है;
(ग) जुलाई, 2025 से भुगतान न किए जाने के कारण प्रभावित वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने लंबित वृद्धावस्था पेंशन की बकाया राशि के तत्काल भुगतान के लिए उक्त मामले को मिजोरम सरकार के साथ उठाया है; और
(ङ) सरकार द्वारा मिजोरम में पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ड.): जी हाँ, सरकार इस बात से अवगत है कि मिजोरम में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत लाभार्थियों को जुलाई, 2025 से वृद्धावस्था पेंशन का संवितरण नहीं किया गया है। भुगतान न होने का मुख्य कारण एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा परिवर्तन है, जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तन अवधि के दौरान मिजोरम राज्य के लिए निधियों को प्रोसेस/स्वीकृत नहीं किया जा सका। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) एनएसएपी-पीपीएस (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - पेंशन भुगतान

प्रणाली) पोर्टल पर डिजिटलीकृत लाभार्थियों की संख्या या लाभार्थियों की संख्या की राज्य सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर राज्य को एनएसएपी के तहत निधि जारी करता है। मिजोरम के लिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 24,043 है। निधियों का जारी किया जाना योजना के दिशानिर्देशों और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है। तदनुसार, राज्य से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, निधियों को प्रोसेस और संवितरित किया जाता है।
